मुंदरिका दुबे और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 1468/2008)

21 फरवरी, 2008

[तरूण चटर्जी और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.]

सेवा कानूनः

सेवानिवृति - अनिवार्य सेवानिवृति - अपीलकर्ताओं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - प्रतिवादी बैंक द्वारा - नियम 235 के तहत बैंक के हित में अनिवार्य सेवानिवृति के प्रावधान को उचित ठहराया गया था। प्रतिवादी बैंक में ना केवल अत्यधिक कर्मचारी थे, बल्कि बैंक काफी घाटे में भी चल रहा था। कर्मचारियों की पर्याप्त छंटनी बैंक के अस्तित्व के लिए आवश्यक थी। किसी भी परिस्थिति में यह प्रस्तुत न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह यह राय दे कि किसे सेवा में रखा जावे व किसे सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए तथा यह किस चरण व स्थिति में किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विशेष रूप से नियोक्ता के विवेक पर छोडे जाने वाला मामला है। बिहार राज्य सरकार भूमि विकास बैंक समिति (नियम) आर आर 232 और 235

अपीलार्थी चतुर्थ श्रैणी के कर्मचारियों को प्रतिवादी-द्वारा कथित तौर पर बिहार राज्य सरकार भूमि विकास बैंक समिति (नियम) के नियम 232 व 235 के तहत पारित आदेश के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उन्होने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की जिन्हे खारिज कर दिया गया।

इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपीलकर्ताओं का तर्क यह है कि

नियम 235 जिसके आधार पर उत्तरदाताओं के अपीलकर्ताओं की सेवाओं को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया, वास्तव में उक्त प्रावधान यह शक्ति प्रदान नही करता था, अपितु यह केवल निश्चित श्रेणी के कर्मचारियों के भुगतान और ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि से संबंधित था और नियम 232 के तहत एक कमर्चारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया जा सकता था तथा वह भी अक्षमता के आधार पर तथा प्रस्तुत मामला ऐसा मामला नही था।

प्रतिवादी बैंक ने कहा कि अपीलकर्ता अक्षम थे, बैंक की कार्यवाही अनुचित थी। अपीलकर्ताओं ने आगे तर्क किया कि अपीलकर्ताओं ने बैंक मे साल 30 से अधिक वर्षो की सेवा की है व यदि बैंक के कार्यकाज को अधिक कुशल बनाने के लिए कोई पुनः संरचना की जानी थी, तो शीर्ष पर मौजूद कर्मचारियों को हटाना उचित होगा अर्थात् अपीलकर्ताओं जैसे चतुर्थ श्रेणी कम वेतन वाले कर्मचारियों के बजाय बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ।

इसके विपरीत उत्तरदाताओं का तर्क रहा कि नियम-235 स्वंय उक्त अधिकार का स्त्रोत है और नियम 232 से भिन्न अधिकारिता में लागू होता है तथा यह न्यायालय के हस्तक्षेप का क्षेत्र नहीं था कि वह निर्धारित करे कि किस कर्मचारी की छंटनी पहले की जानी चाहिए व किसकी बाद में। यह बैंक के आंतरिक प्रशासन का मामला था।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. अपीलकर्ताओं के विरूद्घ नियम 232 के तहत कार्यवाही नही की गई जो कि एक कमर्चारी की आवश्यक सेवानिवृति से संबंधित है जिसमे 21 साल की ड्यूटी व कुल 25 साल की सेवा की है। यदि यह माना जाता है कि कमर्चारी की दक्षता या आचरण उसके सेवा मे प्रतिधारण् में उचित नही ठहरता हैं, हालांकि नियम 235 बैंक के उन लोगो के हित में अनिवार्य सेवानिवृति की बात करता है, जो 50 वर्ष की आयु तक पहुंच गये हैं और 30

वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं तथा ऐसे कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य अंशदायी भविष्य नीधि और ग्रेच्युटी के लाभ के बारे में भी बात करते है। निःसंदेह, नियम 232 के तहत कार्यवाही केवल तभी की जा सकती है जब संबंधित कर्मचारी असक्षम और कदाचार का दोषी हो, जबकि नियम 235 का दायरा काफी व्यापक है और बैंक के हित में अनिवार्य सेवानिवृति का आदेश दिया जा सकता है। दोनो नियम अलग-अलग क्षेत्र में लागू होते हैं, जो लाेग नियम 235 के तहत सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें कुछ अतिरिक्त वित्तिय लाभ दिए जाते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी दक्षता किसी भी तरह से प्रभावित नही हुई है व नियम 235 मात्र अंशदायी भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की बात करता है, उन लोगो को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का अधिकार नही छीनता, जो 50 वर्ष् की आयु तक पहुंच चुके हैं और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तथा जिनकी सेवानिवृति बैंक के हित मे है, इसलिए की गई कार्यवाही नियम 235 के तहत उचित थी। [पैरा 8] [165 सी, डी, ई, एफ, जी]

यह इस न्यायालय का कार्य नही है कि वह इस बारे में राय दे कि किसे सेवा में रखा जाना चाहिए व किसे सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए तथा किस चरण व किस परिस्थिति में, क्योंकि यह नियोक्ता के विशेष विवेक पर छोड़े जाने वाला मामला है। प्रकरण के तथ्यों से पता चलता है कि बैंक में न केवल अधिक कमर्चारी थे अपितु बैंक भारी घाटे मे चल रहा था और इसके अस्तित्व के लिए पर्याप्त कटौती की आवश्यकता थी, जो निःसंदेह हानिकारक होती। [पैरा 9] [169 ए, बी]

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकारः सिविल अपील संख्या-1468/ 2008

(एल. पी. ए. 1184/2004 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 07-12-2005 के अंतिम आदेश से।)

प्रिया हिंगोरानी (मेसर्स हिंगोरानी व एसोसिएटस) अपीलकर्ता की ओर से

श्रवण कुमार, बी पी यादव संजीव मल्होत्रा गोपाल सिंह एवं मनीष कुमार प्रत्यार्थीगण की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

हरजीत सिंह बेदी, जे.

अनुमति प्रदान की गई।

यह अपील पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश दिनांक 07-दिसम्बर-2005 के आदेश के खिलाफ है, जिसके तहत 12-अक्टूबर-2004 के विद्वान एकल न्यायाधीश के रिट याचिका को खारिज करने के आदेश की पुष्टि की गई। मामले के तथ्य इस प्रकार हैः-

अपीलकर्ता को वर्ष 1971 मे प्रतिवादी बैंक मे चतुर्थ् श्रेणी कर्मचारी अर्थात चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हे बिहार राज्य सरकार भूमि नियम 232 और 235 के तहत कथित तौर पर 5 जून के आदेश के तहत बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। विकास बैंक समिति (इसके बाद संदर्भित को नियम के रूप में बताया गया है) 5 जून 2004 के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय मे कई रिट याचिकाएं दायर की जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, यह तर्क भी दिया गया कि बैंक द्वारा की गई कार्यवाही नियम 232 के तहत उचित नही थी, क्योकि उन्हे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नही किया गया था। अक्षमता का आधार और नियम 235 की शक्तियां जिससे अनिवार्य सेवानिवृति के आदेश को उचित ठहराया जा सके, वह केवल उन कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधी और ग्रेच्यूटी से संबंधित था जो 50 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके थे और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके थे। सेवानिवृति का हाइकोर्ट द्वारा जारी

नोटिस के जवाब मे प्रतिवादी बैंक ने अपना उत्तर दाखिल किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया कि बैंक मे अत्यधिक कर्मचारी थे और बैंक को अकुशल ढंग से चलाया जा रहा था। जिसके परिणामस्वरूप भारी घाटा उठाना पडा जिससे, उसकी वित्तीय स्थिति अनिश्चित हो गई और इससे पहले की किसी के खिलाफ कोई कायर्वाही की जाए, एक कमेटी गठित की गई जिसने बैंक की संपूर्ण जांच की एवं इसके बाद बडी संख्या में कार्यालय व शाखाएं बंद कर दिए गए और पुनगर्ठन किया गया था। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया की बैंक मे आवश्यकता से अधिक कमर्चारी होना स्पष्ट है। 166 चपरासियों की कुल आवश्यकता के मुकाबले 507 चपरासी नियुक्त किए गए और अपीलकर्ताओं को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय झिझक के साथ बैंक के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों में से एक के रूप मे लिया गया। यह भी बताया गया की निदेशक मंडल ने 24 दिसम्बर 2003 को हुई अपनी बैठक मे प्रासंगिक तथ्यो की जांच की थी और यह निष्कर्ष निकाला था कि पहले चरण मे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए जो उन निचले ग्रेड के कर्मचारियों को दी जानी चाहिए जिन्होने सेवा के 30 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। इस कार्यवाही की एक प्रति परिशिष्ठ पी 01 के रूप में इस कार्यवाही कागजात के साथ संलग्न की गई।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने 12 अक्टुबर 2004 को अपने फैसले में प्रतिवादी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया, जहां तक तथ्यात्मक पहलू का प्रश्न था ताे यह भी देखा कि नियम 232 ऐसे मामलों में लागू नही था जबकि नियम 235 वास्तव मे लागू होता था और तदनुसार जैसा कि उपर बताया गया है रिट याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय की डिविजन बैंच के समक्ष दायर अपील भी खारिज कर दी गई।

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुश्री प्रियंका हिंगोरानी ने जोरदार तर्क दिया कि नियम 235 जिस पर उत्तरदाताओं ने अनिवार्य सेवानिवृृति के माध्यम से अपीलकर्ताओं की सेवाआेंं को वापस लेने के लिए निर्भरता रखी वह वास्तव मे इस अधिकारिता का स्त्राोत नही था, क्योंकि यह नियम केवल कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग को ग्रेच्यूटी और भविष्य निधि के भुगतान से संबंधित था। केवल नियम 232 के तहत किसी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता था और वह भी अक्षमता के आधार पर और यह प्रतिवादी पक्ष् का मामला नही था। बैंक का यह मानना कि अपीलकर्ता अक्षम थे, विवादित कार्यवाही अनुचित थी। यह भी आग्रह किया गया कि अपीलकर्ताओं ने बैंक की 30 से अधिक वर्षों की सेवा की है और यदि बैंक के कामकाज को और अधिक कुशल बनाने के लिए कोई पुर्नगठन किया जाना है तो अपीलकर्ताओं जैसे कम वेतन वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थान पर बैंक के शीर्ष कर्मचारियों यानि वरिष्ठ अधिकारियो को हटाना उचित होता।

इन तर्को पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार ने खंडन करते हुए बताया कि नियम 235 स्वयं ही शक्तियों का स्त्रोत है और नियम 232 से भिन्न क्षेत्र मे संचालित होता है तथा इस न्यायालय द्वारा यह हस्तक्षेप करना तथा निर्धारित करना कि किस कर्मचारी की छंटनी पहले की जानी है और किसकी बाद में, यह सही नही होगा क्योंकि यह बैंक के आंतरिक प्रशासन का मामला है।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना व रिकाॅर्ड का अवलोकन किया। नियम 232 और 235 इस प्रकार हैः

"नियम 232- बैंक किसी भी बैंक कर्मचारी जिसने 21 वर्ष की डयूटी और 25 साल की कुल सेवा की हो, के संबंध में यदि यह माना जाता है की दक्षता या आचरण ऐसा नही है के

उसे सेवा में निरंतर रखा जा सके, तो बैंक की सेवाआे से सेवानिवृत्त होने के लिए उसकी पहली नियुक्ति की तारीख से गणना की जाती है, जहां किसी भी बैंक कर्मचारी का सेवानिवृत्त होना आवश्यक है, वहां किसी विशेष मुआवजे के दावे पर विचार नही किया जाएगा।

नियम 235- एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या जिसने 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बैंक के हित में जिसका अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना आवश्यक है, वह स्वीकार्य अंशदायी भविष्य निधी और ग्रेच्यूटी का हकदार होगा।"

यह स्वीकार करते हुए कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ नियम 232 के तहत कार्यवाही नही की गई है, जो कि उन कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्त से संबंधित है, जिन्होने 21 साल की डयूटी और 25 साल की कुल सेवा की है, अगर यह माना जाता है कि उनकी दक्ष्ता व आचरण उन्हे सेवा मे बनाए रखने के लिए उचित नही ठहराता। हालांकि नियम 235 बैंक के उन कर्मचारियों के हित में अनिवार्य सेवानिवृति की बात करता है जाे 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं व 30 साल की सेवा भी पूर्ण कर चुके हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधी और ग्रेच्यूटी के बारे में बात करते है। निसंदेह नियम 232 के तहत कार्यवाही मात्र तभी की जा सकती है, जब संबंधित कर्मचारी अक्षम हो या कदाचार का दोषी हो जबकि नियम 235 का दायरा अधिक व्यापक है और अनिवार्य सेवानिवृति का आदेश दिया जा सकता है। बैंक का हित यह तथ्य की दोनो नियम अलग-अलग क्षेत्राेंं में लागू होते है। अलग-अलग योग्यता सेवा से भी स्पष्ट है और जो लोग नियम 235 के तहत सेवा निवृत्त हाेते हैं, उन्हें इस तथ्य के बाद भी कि उनकी दक्षता

किसी भी प्रकार से कम नही होती है, उन्हें अतिरिक्त वित्तिय लाभ दिए जाते हैं, क्योकि नियम 235 अंशदायी भुगतान के बारे मे भी बात करता है ऐसे मे यह उन लोगो की अनिवार्य सेवानिवृति देने का अधिकार नही छिनता जो कि 50 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके हैं और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं एवमं जिनकी सेवानिवृति बैंक के हित में है। इसलिए हम उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं कि नियम 235 के तहत की गई कार्यवाही उचित थी।

हम समान रूप से इस बात पर सहमत है कि यह न्यायालय का काम नहीं है कि न्यायालय इस बारे में राय दे कि किसे सेवा मे रखा जाना चाहिए और किसे सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए और किस चरण और किस स्थिति में। यह नियोक्ता के विशेष विवेक पर छोडा जाना चाहिए इस मामले के तथ्यो से पता चलता है कि बैंक में न केवल अत्यधिक कर्मचारी थे, अपितु वह भारी घाटे में भी चल रहा था, जो कि निसंदेह हानिकारक था। ऐसे मे बैंक के अस्तित्व के लिए पर्याप्त कटौती की आवश्यकता थी।

हम तदनुसार अपील में कोई योग्यता नही पाते है अपील बिना किसी काॅस्ट के खारिज की जाती है।

बी बी बी

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मिनाक्षी मीणा, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।